"आदेश"

उत्तराखण्ड़ शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017/दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में प्राविधनित व्यवस्था के अन्तर्गत तथा सहपठित शासनादेश संख्या–30/XXX(2)/2018-30(13) 2017 दिनांक 06.02.2018, शासनादेश संख्या 385025//XXX (2) /2026- ई - 20917 दिनांक 06.04.2026, शासनादेश संख्या 400683/XXX (2) /2026-ई- 26941 दिनांक 01.06.2026 एवं शासनादेश संख्या 403252//XXX (2) /2026/ ई - 20941 दिनांक 09.06.2026 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 23.06.2026 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम संख्या 04 में अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री रमेश चन्द्र	जिलाधिकारी कार्यालय उत्तरकाशी	कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड	जनहित

श्री रमेश चन्द्र अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–1 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्री रमेश चन्द्र अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–1 का स्थानान्तरण जनहित मे होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अर्न्तगत नियत अवधि मे योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

"उत्तराखण्ड शासन निर्वाचन अनुभाग के पत्र सं0–01/399036/2026/XXV/ई–103441/2026/ दिनांक–27.05.2026 के कम में सम्बन्धित कार्मिक की तैनाती यदि निर्वाचन नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (S.I.R) के कार्य सम्पादन में लगी हो तो सम्बन्धित कार्मिक को दिनांक–15.09.2026 (कार्य सम्पादन) उपरान्त नव तैनाती स्थल हेतु अविलम्ब कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

ह0/–
(दिनेश कुमार)
कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय,उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांकः–कृ0नि0/ 1874 /स्था0अनु0–1/सां0/वार्षिक स्थानान्तरण/2026–27/दिनांक 30/6/2026

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री रमेश चन्द्र, अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–1, द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय उत्तरकाशी ।
2. जिलाधिकारी कार्यालय उत्तरकाशी को इस अनुरोध के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री रमेश चन्द्र, अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–1 को आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करने का कष्ट करे।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी स्थापना कृषि निदेशालय।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5. मुख्य कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, नियो0 एवं अनु0,आहरण वितरण अधिकारी कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
7. संयुक्त कृषि निदेशक,सांख्यिकी,कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
8. अपर कृषि निदेशक, गढवाल मण्डल, पौडी।
9. गार्ड पत्रावली।

(डा0 अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय,उत्तराखण्ड,
देहरादून।

"आदेश"

उत्तराखण्ड़ शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017/दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में प्राविधनित व्यवस्था के अन्तर्गत तथा सहपठित शासनादेश संख्या–30/XXX(2)/2018-30(13) 2017 दिनांक 06.02.2018, शासनादेश संख्या 385025//XXX (2) /2026-ई - 20917 दिनांक 06.04.2026, शासनादेश संख्या 400683/XXX (2) /2026-ई- 26941 दिनांक 01.06.2026 एवं शासनादेश संख्या 403252//XXX (2) /2026/ ई - 20941 दिनांक 09.06.2026 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 23.06.2026 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम संख्या 04 में अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री संजय सिंह भण्डारी	जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर	आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड,दे0दून	जनहित

श्री संजय सिंह भण्डारी, अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–1 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्री संजय सिंह भण्डारी, अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–1 का स्थानान्तरण जनहित मे होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अर्न्तगत नियत अवधि मे योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

"उत्तराखण्ड शासन निर्वाचन अनुभाग के पत्र सं0–01/399036/2026/XXV/ई–103441/2026/ दिनांक–27.05.2026 के कम में सम्बन्धित कार्मिक की तैनाती यदि निर्वाचन नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (S.I.R) के कार्य सम्पादन में लगी हो तो सम्बन्धित कार्मिक को दिनांक–15.09.2026 (कार्य सम्पादन) उपरान्त नव तैनाती स्थल हेतु अविलम्ब कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

ह0/–
(दिनेश कुमार)
कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय,उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांकः–कृ0नि0/ 1875 /स्था0अनु0–1/सां0/वार्षिक स्थानान्तरण/2026–27/दिनांक 30/6/2026

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री संजय सिंह भण्डारी, अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–1, द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर ।
2. जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर को इस अनुरोध के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री भण्डारी, अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–1 को आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करने का कष्ट करे।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड,देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि श्री भण्डारी अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–1 की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराने का कष्ट करे।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5. संयुक्त कृषि निदेशक,सांख्यिकी,कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमॉऊ गढवाल मण्डल हल्द्वानी।
7. गार्ड पत्रावली।

(डा0 अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय,उत्तराखण्ड,
देहरादून।

"आदेश"

उत्तराखण्ड़ शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017/दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में प्राविधनित व्यवस्था के अन्तर्गत तथा सहपठित शासनादेश संख्या–30/XXX(2)/2018-30(13) 2017 दिनांक 06.02.2018, शासनादेश संख्या 385025//XXX (2) /2026- ई - 20917 दिनांक 06.04.2026, शासनादेश संख्या 400683/XXX (2) /2026-ई- 26941 दिनांक 01.06.2026 एवं शासनादेश संख्या 403252//XXX (2) /2026/ ई - 20941 दिनांक 09.06.2026 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 23.06.2026 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम संख्या 04 में अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री जुगल किशोर पाण्डेय	जिलाधिकारी कार्यालय चम्पावत	कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड	जनहित

श्री जुगल किशोर पाण्डेय, अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–1 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्री जुगल किशोर पाण्डेय अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–1 का स्थानान्तरण जनहित मे होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अर्न्तगत नियत अवधि मे योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

"उत्तराखण्ड शासन निर्वाचन अनुभाग के पत्र सं0–01/399036/2026/XXV/ई–103441/2026/ दिनांक–27.05.2026 के कम में सम्बन्धित कार्मिक की तैनाती यदि निर्वाचन नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (S.I.R) के कार्य सम्पादन में लगी हो तो सम्बन्धित कार्मिक को दिनांक–15.09.2026 (कार्य सम्पादन) उपरान्त नव तैनाती स्थल हेतु अविलम्ब कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

(दिनेश कुमार)
कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय,उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांकः–कृ0नि0/ 1876 /स्था0अनु0–1/सां0/वार्षिक स्थानान्तरण/2026–27/दिनांक 30/6/2026

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री जुगल किशोर पाण्डेय अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–1, द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय चम्पावत ।
2. जिलाधिकारी कार्यालय चम्पावत को इस अनुरोध के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री जुगल किशोर पाण्डेय अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–1 को आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करने का कष्ट करे।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी स्थापना कृषि निदेशालय।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5. मुख्य कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, नियो0 एवं अनु0,आहरण वितरण अधिकारी कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
7. संयुक्त कृषि निदेशक,सांख्यिकी,कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
8. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमॉऊ गढवाल मण्डल हल्द्वानी।
9. गार्ड पत्रावली।

(डा0 अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय,उत्तराखण्ड,
देहरादून।

"आदेश"

उत्तराखण्ड़ शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017/दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में प्राविधनित व्यवस्था के अन्तर्गत तथा सहपठित शासनादेश संख्या–30/XXX(2)/2018-30(13) 2017 दिनांक 06.02.2018, शासनादेश संख्या 385025//XXX (2) /2026- ई - 20917 दिनांक 06.04.2026, शासनादेश संख्या 400683/XXX (2) /2026-ई- 26941 दिनांक 01.06.2026 एवं शासनादेश संख्या 403252//XXX (2) /2026/ ई - 20941 दिनांक 09.06.2026 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 23.06.2026 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम संख्या 04 में अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्रीमती निधि नौटियाल	आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड,दे0दून	जिलाधिकारी कार्यालय उत्तरकाशी	जनहित

श्रीमती निधि नौटियाल अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–1 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्रीमती निधि नौटियाल अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–1 का स्थानान्तरण जनहित मे होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अर्न्तगत नियत अवधि मे योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

"उत्तराखण्ड शासन निर्वाचन अनुभाग के पत्र सं0–01/399036/2026/XXV/ई–103441/2026/ दिनांक–27.05.2026 के कम में सम्बन्धित कार्मिक की तैनाती यदि निर्वाचन नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (S.I.R) के कार्य सम्पादन में लगी हो तो सम्बन्धित कार्मिक को दिनांक–15.09.2026 (कार्य सम्पादन) उपरान्त नव तैनाती स्थल हेतु अविलम्ब कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें"।

(दिनेश कुमार)
कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय,उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांकः–कृ0नि0/ 1877 /स्था0अनु0–1/सां0/वार्षिक स्थाना0/2026–27/दिनांक 30/6/2026

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमती निधि नौटियाल अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–1, द्वारा आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तराखण्ड देहरादून।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्रीमती निधि नौटियाल, अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–1 को आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करने का कष्ट करे।
3. जिलाधिकारी कार्यालय उत्तरकाशी को इस अनुरोध के साथ कि श्रीमती निधि नौटियाल, अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–1 की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराने का कष्ट करे।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5. संयुक्त कृषि निदेशक,सांख्यिकी,कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
6. अपर कृषि निदेशक, गढवाल मण्डल पौडी।
7. गार्ड पत्रावली।

(डा0 अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय,उत्तराखण्ड,
देहरादून।

"आदेश"

उत्तराखण्ड़ शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017/दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में प्राविधनित व्यवस्था के अन्तर्गत तथा सहपठित शासनादेश संख्या–30/XXX(2)/2018-30(13) 2017 दिनांक 06.02.2018, शासनादेश संख्या 385025//XXX (2) /2026- ई - 20917 दिनांक 06.04.2026, शासनादेश संख्या 400683/XXX (2) /2026-ई- 26941 दिनांक 01.06.2026 एवं शासनादेश संख्या 403252//XXX (2) /2026/ ई - 20941 दिनांक 09.06.2026 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 23.06.2026 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम संख्या 04 में अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री रामऋषि	कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड	जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर	जनहित

श्री रामऋषि, अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–1 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्री रामऋषि अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–1 का स्थानान्तरण जनहित मे होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अर्न्तगत नियत अवधि मे योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

"उत्तराखण्ड शासन निर्वाचन अनुभाग के पत्र सं0–01/399036/2026/XXV/ई–103441/2026/ दिनांक–27.05.2026 के क्रम में सम्बन्धित कार्मिक की तैनाती यदि निर्वाचन नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (S.I.R) के कार्य सम्पादन में लगी हो तो सम्बन्धित कार्मिक को दिनांक–15.09.2026 (कार्य सम्पादन) उपरान्त नव तैनाती स्थल हेतु अविलम्ब कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें"।

(दिनेश कुमार)
कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय,उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांकः–कृ0नि0/ 1878 /स्था0अनु0–1/सां0/वार्षिक स्थाना0/2026–27/दिनांक 30/6/ 2026

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री रामऋषि अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–1, कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड को आदेश परिपालनार्थ।
2. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी स्थापना कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री रामऋषि अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–1 को आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।
3. जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर को इस अनुरोध के साथ कि श्री रामऋषि अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–1 की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराने का कष्ट करे।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5. मुख्य कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, नियो0 एवं अनु0,आहरण वितरण अधिकारी कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
7. संयुक्त कृषि निदेशक,सांख्यिकी,कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
8. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमॉऊ मण्डल हल्द्वानी।
9. गार्ड पत्रावली।

(डा0 अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय,उत्तराखण्ड,
देहरादून।

"आदेश"

उत्तराखण्ड़ शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017/दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में प्राविधनित व्यवस्था के अन्तर्गत तथा सहपठित शासनादेश संख्या–30/XXX(2)/2018-30(13) 2017 दिनांक 06.02.2018, शासनादेश संख्या 385025//XXX (2) /2026- ई - 20917 दिनांक 06.04.2026, शासनादेश संख्या 400683/XXX (2) /2026-ई- 26941 दिनांक 01.06.2026 एवं शासनादेश संख्या 403252//XXX (2) /2026/ ई - 20941 दिनांक 09.06.2026 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 23.06.2026 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम संख्या 04 में अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्रीमती सुमन मैठाणी	कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड	जिलाधिकारी कार्यालय चम्पावत	जनहित

श्रीमती सुमन मैठाणी, अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–1 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्रीमती मैठाणी, अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–1 का स्थानान्तरण जनहित मे होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अर्न्तगत नियत अवधि मे योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

"उत्तराखण्ड शासन निर्वाचन अनुभाग के पत्र सं0–01/399036/2026/XXV/ई–103441/2026/ दिनांक–27.05.2026 के कम में सम्बन्धित कार्मिक की तैनाती यदि निर्वाचन नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (S.I.R) के कार्य सम्पादन में लगी हो तो सम्बन्धित कार्मिक को दिनांक–15.09.2026 (कार्य सम्पादन) उपरान्त नव तैनाती स्थल हेतु अविलम्ब कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें"।

(दिनेश कुमार)
कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय,उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांकः–कृ0नि0/ 1879 /स्था0अनु0–1/सां0/वार्षिक स्थाना0/2026–27/दिनांक 30/6/2026

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमती सुमन मैठाणी, अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–1, कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड को आदेश परिपालनार्थ।
2. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी स्थापना कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्रीमती मैठाणी, अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–1 को आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।
3. जिलाधिकारी कार्यालय चम्पावत को इस अनुरोध के साथ कि श्रीमती सुमन मैठाणी, अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–1 की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराने का कष्ट करे।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5. मुख्य कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, नियो0 एवं अनु0,आहरण वितरण अधिकारी कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
7. संयुक्त कृषि निदेशक,सांख्यिकी,कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
8. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमॉऊ मण्डल हल्द्वानी।
9. गार्ड पत्रावली।

(डा0 अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय,उत्तराखण्ड,
देहरादून।